

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-75/1343/एक-1-2016-15(1)/98-19 टी0सी0-2

लखनऊ: दिनांक: 18 अक्टूबर, 2016

**कार्यालय-ज्ञाप**

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) को लागू करने हेतु संहिता की नियमावली, विनियमावली, राजस्व न्यायालय मैनुअल, राजस्व मैनुअल और भू लेख नियमावली इत्यादि को नये परिप्रेक्ष्य में त्रिपिबद्ध करने हेतु शासनादेश संख्या-887/एक-1-2015-15(1)/98-19, दिनांक 05.06.2015 द्वारा श्री राज बहादुर सिंह यादव की अध्यक्षता में निम्नलिखित प्रारूप समिति के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1.	श्री राज बहादुर सिंह यादव, मा0 अपर महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2.	श्री भोलानाथ यादव, एडवोकेट	संयोजक/सदस्य
3.	श्री भीष्मलाल वर्मा, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4.	श्री सुनील कुमार चौधरी, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश	सदस्य

2. उक्त समिति का कार्यकाल शासन के पत्र संख्या-1528/एक-1-2015-15(1)/1998-19, दिनांक 14.09.2015 द्वारा 03 माह, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-52/एक-1-2016-15(1)/1998-19 टी0सी0-2, दिनांक 20.01.2016 द्वारा दिनांक 14.12.2015 से 13.03.2016, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-429/एक-1-2016-15(1)/1998-19 टी0सी0-2, दिनांक 11.05.2016 द्वारा दिनांक 14.03.2016 से 13.06.2016 तक के लिये बढ़ाया गया।

3. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-976/एक-1-2016-15(1)/1998-19 टी0सी0-2, दिनांक 22.07.2016 द्वारा चकबन्दी अधिनियम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने एवं प्राविधानों को सरल बनाने तथा राजकीय आस्थान, नजूल भूमि, निष्क्रान्त सम्पत्ति एवं नान जेड.ए. से सम्बन्धित भूमियों हेतु समेकित एवं जन उपयोगी प्राविधानों के प्रारूपण हेतु प्रारूप समिति को अधिकृत करते हुए उक्त प्रारूप समिति का कार्यकाल दिनांक 14.06.2016 से दिनांक 13.09.2016 तक के लिये बढ़ाया गया तथा श्री सुरेश चन्द्र यादव, अपर संचालक, चकबन्दी की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय उप समिति का गठन किया गया।

4. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सर्वे एवं रिकार्ड नियमावली व उत्तर प्रदेश आबादी सर्वे व रिकार्ड नियमावली के प्रारूपण तथा

चकबन्दी अधिनियम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने एवं उसके प्राविधानों को सरल बनाने तथा राजकीय आस्थान, नजूल भूमि, निष्क्रान्त सम्पत्ति एवं नान जेड.ए. से सम्बन्धित भूमियों हेतु समेकित एवं जन उपयोगी प्राविधानों के प्रारूपण हेतु प्रारूप समिति को अधिकृत करते हुए उक्त प्रारूप समिति का कार्यकाल दिनांक 14.09.2016 से दिनांक 13.03.2017 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति/अनुमति प्रदान करते हैं।

सुरेश चन्द्रा  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1343/एक-1-2016-15(1)/98-19 टी0सी0-2 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) श्री राज बहादुर सिंह यादव, मा0 अपर महाशिवका, 59 गुलिस्ता कालोनी, दिलकुशा, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कमेटी के अन्य सदस्यों को अपने स्तर से सूचित करने का कर्ण करे।
- (3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) श्री सुरेश चन्द्र यादव, अपर सचालक, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)  
विशेष सचिव।